अध्याय - I

अध्याय-I

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

प्रस्तावना

1.1 राज्य सरकार की कंपनियों या सांविधिक निगमों, जो राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सा.क्षे.उ.) हैं, की स्थापना जनकल्याण को ध्यान में रखते हुए तथा राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए वाणिज्यक प्रकृति की गतिविधियों को पूर्ण करने के लिए की गयी है। 31 मार्च 2016 को झारखण्ड राज्य में 19 असूचीबद्ध सरकारी कंपनियां[1] (सभी कार्यरत) थीं और कोई सांविधिक निगम नहीं थे। वर्ष 2015-16 के दौरान एक सा.क्षे.उ. (झारखण्ड चिकित्सा एवं स्वास्थ आधारभूत संरचना विकास एवं क्रय निगम लिमिटेड) को लेखापरीक्षा हेतु सौंपा गया जबकि कोई भी सा.क्षे.उ. बंद नहीं हुआ।

सितम्बर 2016 को अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार राज्य सा.क्षे.उ. ने ₹ 1865.69 करोड़ का आवर्त दर्ज किया तथा ₹ 164.92 करोड़ की हानि वहन की। मार्च 2016 के अंत तक इन सा.क्षे.उ. ने 5544 कर्मचारियों को नियोजित किया था।

उत्तरदायित्व संरचना

1.2 सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा की प्रक्रिया कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 139 एवं 143 के अनुसार अधिशासित होती है। अधिनियम की धारा 2(45) के अनुसार, सरकारी कंपनी का आशय ऐसी कंपनी से है जिसकी प्रदत्त अंशपूँजी में केन्द्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार या सरकार या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकार और एक सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी को सम्मिलित करते हुये ऐसी कंपनी का अंश 51 प्रतिशत से कम न हो।

इसके अतिरिक्त, सीएजी यदि आवश्यक समझे तो, ऐसी कम्पनियाँ जो अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (5) एवं (7) के अन्तर्गत आती हैं, को धारा 143 की उपधारा (7) के अनुसार या किसी आदेश के अनुसार इन कम्पनियों के लेखों की नमूना जाँच लेखापरीक्षा कर सकते हैं तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा-शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19 (ए) के प्रावधान भी ऐसे नमूना जाँच प्रतिवेदन पर लागू होगें। 31 मार्च 2014 को या उसके पूर्व के वित्तीय

---

[1] (i) झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (जेएसएफडीसी) (ii) झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उद्वह सिंचाई निगम लिमिटेड (झालको) (iii) झारखण्ड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (जिडको) (iv) झारखण्ड पुलिस आवासीय निगम लिमिटेड (जेपीएचसीएल) (v) ग्रेटर राँची डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड (जीआरडीए) (vi) झारखण्ड सिल्क टेक्सटाईल एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड (झारक्राफ्ट) (vii) झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (जेएसएमडीसी) (viii) तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (टीवीएनएल) (ix) कर्णपूरा ऊर्जा लिमिटेड (केईएल) (x) झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (जेटीडीसी) (xi) झारखण्ड राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड (जेएसबीसीएल) (xii) झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (जेएसएफसीएससीएल) (xiii) झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम लिमिटेड (जेएसएमएफडीसी) (xiv) झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जेयूवीएनएल) (xv) झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड (जेयूयूएनएल) (xvi) झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड (जेयूएसएनएल) (xvii) झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) (xviii) झारखंड शहरी संरचना विकास कंपनी लिमिटेड और (xix) झारखण्ड चिकित्सा एवं स्वास्थ आधारभूत संरचना विकास एवं क्रय निगम लिमिटेड (जेएमएचआईडीपीसीएल)।

वर्षों के संबंध में कम्पनियों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार ही अधिशासित होगी।

सांविधिक लेखापरीक्षा

1.3 सरकारी कम्पनियों के वित्तीय विवरणों (जैसा कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 2(45) में परिभाषित है) की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है**,** जिनकी नियुक्ति अधिनियम की धारा 139(5) या (7) के प्रावधानों के अनुसार सीएजी द्वारा की जाती है। वे**,** अधिनियम की घारा 143(5) के प्रावधानों के अनुसार, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति सीएजी को प्रस्तुत करेंगी जिसमें अन्य बातों के अलावा कम्पनी के वित्तीय विवरण शामिल होंगे। इन वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(6) के अनुसार सीएजी द्वारा संपादित की जाती है।

सरकार एवं विधायिका की भूमिका

1.4 राज्य सरकार इन सा.क्षे.उ. के कार्यकलाप पर नियंत्रण अपने प्रशासनिक विभागों के माध्यम से रखती है। बोर्ड के लिए मुख्य कार्यकारी तथा निदेशकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है।

राज्य विधायिका भी सा.क्षे.उ. के लेखांकन तथा सरकारी निवेश की उपयोगिता का अनुश्रवण करती है। इसके लिए, अधिनियम की धारा 394 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार की कम्पनियाँ अपने वार्षिक प्रतिवेदन के साथ सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन एवं सीएजी की टिप्पणियों को विधायिका में प्रस्तुत करती हैं। सीएजी का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सीएजी (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा-शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19 (ए) के अधीन सरकार को प्रस्तुत किया जाता है।

झारखण्ड सरकार का अंश

1.5 इन सा.क्षे.उ. में राज्य सरकार का वित्तीय अंश मुख्यत: तीन प्रकार के हैं:

- **अंशपूँजी एवं ऋण** - अंशपूँजी योगदान के अतिरिक्त, राज्य सरकार समय-समय पर ऋण देकर सा.क्षे.उ. को वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।
- **विशेष वित्तीय सहायता -** राज्य सरकार सा.क्षे.उ. को आवश्यकता के अनुसार बजटीय सहायता अनुदान एवं उपदान के रुप में देती है।
- **प्रत्याभूति -** राज्य सरकार, वित्तीय संस्थानों द्वारा सा.क्षे.उ. को प्रदान किये गये ब्याज सहित ऋण की अदायगी के लिए प्रत्याभूति भी प्रदान करती है।

राज्य के सा.क्षे.उ में निवेश

1.6 31 मार्च 2016 को**,** 19 सा.क्षे.उ. में ₹ 2361.43 करोड़ निवेश (अंशपूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) था जैसा कि **रेखाचित्र** - **1.1** में आगे दर्शाया गया हैं।

रेखाचित्र 1.1: राज्य के सा.क्षे.उ. मे निवेश

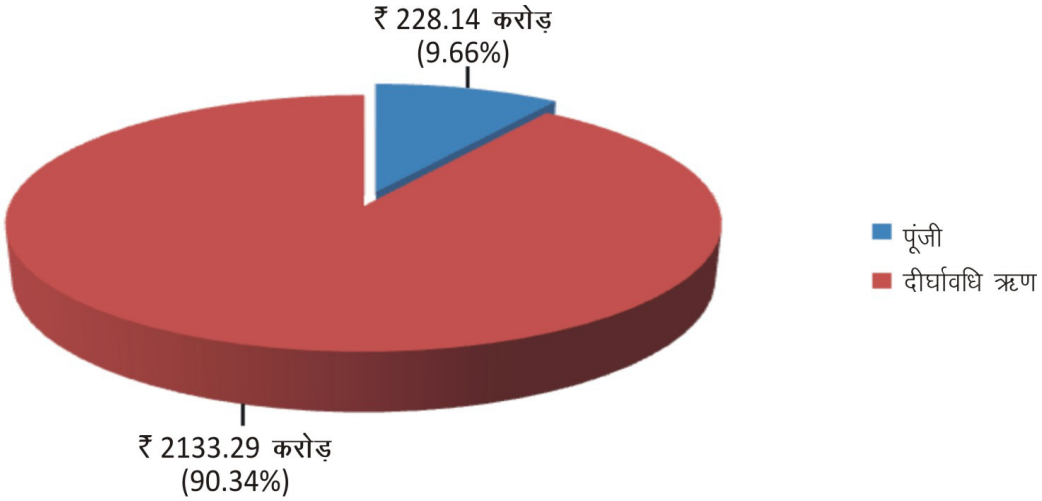

(स्रोत: कंपनी द्वारा प्रदत्त सूचना से संकलित आँकड़े)

इस कुल निवेश में 9.66 प्रतिशत पूँजी तथा 90.34 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण शामिल था। निवेश में 61.87 प्रतिशत की कमी हुई जो 2011-12 में ₹ 6192.40 करोड़ से घटकर 2015-16 में ₹ 2361.43 करोड़ (जैसा कि नीचे **चार्ट -1.2** में दिखाया गया हैं) मुख्यत: ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के घटने के कारण हो गया जैसा कि कंडिका 1.7 में विवेचित हैं।

चार्ट 1.2: 2011-12 से 2015-16 के दौरान सा.क्षे.उ. में निवेश

निवेश (पूंजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ करोड़

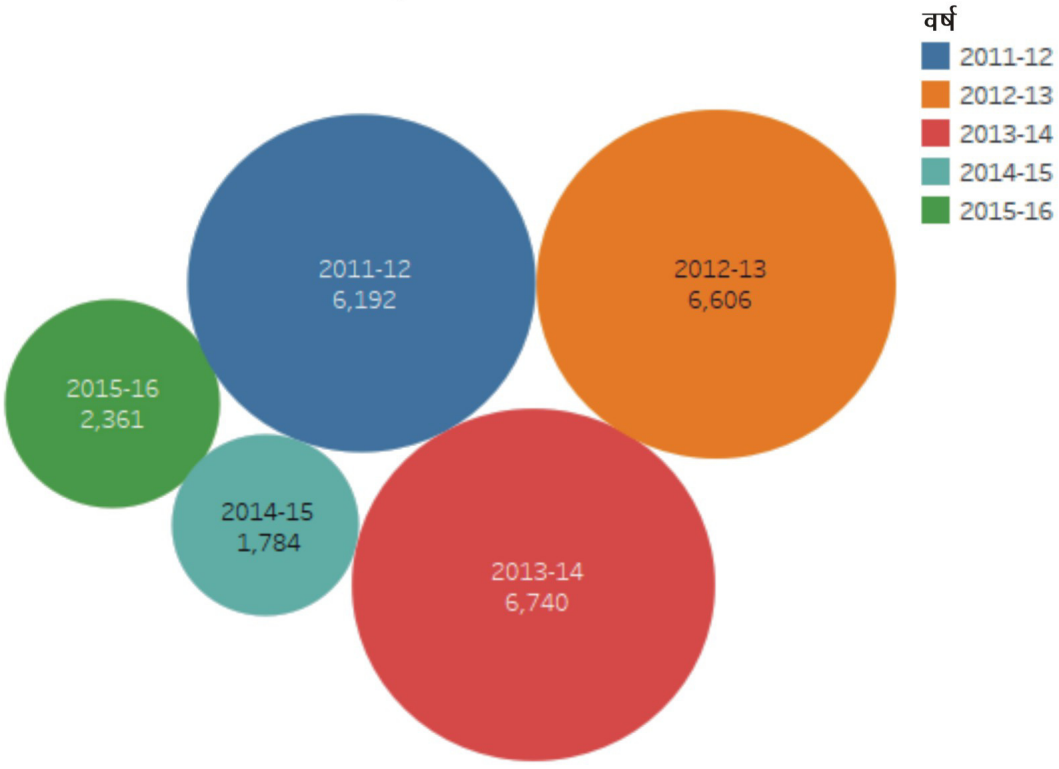

1.7 31 मार्च 2016 को राज्य के सा.क्षे.उ. में निवेश का क्षेत्रवार सारांश **तालिका-1.1** में दिया गया हैं।

तालिका 1.1: सा.क्षे.उ. में क्षेत्रवार निवेश

क्षेत्र का नाम	कार्यरत सरकारी कंपनियाँ	अकार्यरत सरकारी कंपनियाँ	कुल निवेश (₹ करोड़ में)
ऊर्जा	2241.49	-	2241.49
विनिर्माण	12.00	-	12.00
कृषि एवं संबद्ध	10.30	-	10.30
सेवा	23.50	-	23.50
आधारभूत संरचना	74.14	-	74.14
वित्त	0		0
कुल	**2361.43**	**-**	**2361.43**

(स्रोत: कंपनी द्वारा प्रदत्त सूचना से संकलित आँकड़े)

31 मार्च 2012 एवं 31 मार्च 2016 को महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश एवं उनका प्रतिशत **चार्ट -1.3** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.3: सा.क्षे.उ. में क्षेत्रवार निवेश

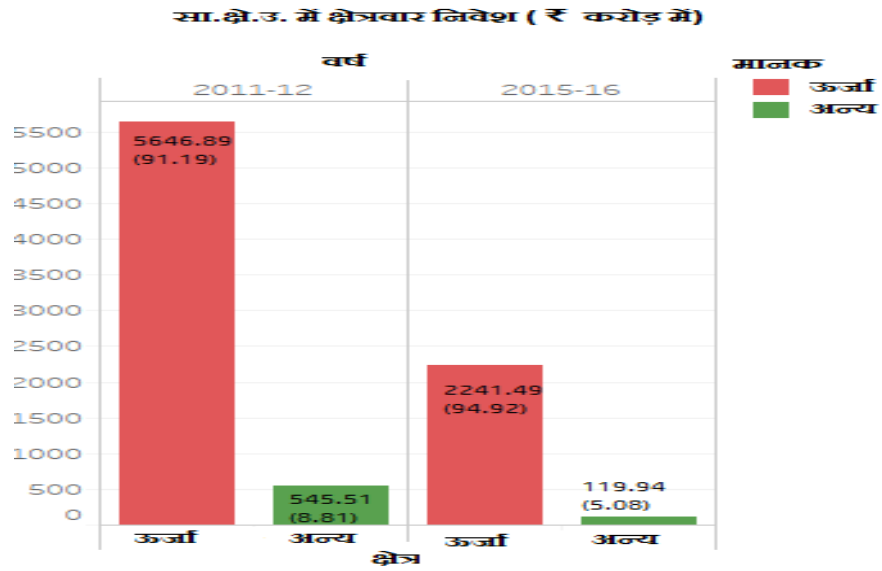

सा.क्षे.उ. में निवेश मुख्यत: ऊर्जा क्षेत्र में था जो 31 मार्च 2016 को कुल निवेश का 94.92 प्रतिशत था। ऊर्जा क्षेत्र में निवेश 2011-12 में ₹ 5646.89 करोड़ था जो 2015-16 में घटकर ₹ 2241.49 करोड़ हो गया जिसका मुख्य कारण यह था कि पूर्ववर्ती झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड में निवेश को वर्ष 2013-14 में इसके विघटन के बाद इसकी उत्तरवर्ती कंपनियों, यानि झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जेयूवीएनएल), झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड (जेयूयूएनएल), झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड (जेयूएसएनएल) और झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) को स्थानांतरित नहीं किया गया था।

वर्ष के दौरान विशेष सहायता एवं प्रत्याय

1.8 राज्य सरकार वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूप में सा.क्षे.उ. को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वर्ष 2015-16 को समाप्त हुये तीन वर्षों का अंशपूँजी, ऋण तथा अनुदान/सहाय्य से संबंधित बजटीय जावक का सारांशीकृत ब्यौरा **तालिका - 1.2** में दिया गया है:

तालिका 1.2: सा.क्षे.उ. को दी गई बजटीय सहायता का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2013-14		2014-15		2015-16	
		सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि	सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि	सा.क्षे.उ. की संख्या[2]	राशि
1.	बजट से अंशपूँजी जावक	4	20.65	5	9.25	2	18.14
2.	बजट से दिये गये ऋण	1	175.34	3	782.54	3	802.72
3.	अनुदान/सहाय्य प्राप्ति	2	972.80	2	2112.00	1	8.14
कुल जावक			1168.79		2903.79		829.00

(स्रोत: कंपनी द्वारा प्रदत्त सूचना से संकलित आँकड़े)

पिछले पाँच वर्षों में सा.क्षे.उ. के लिए अंशपूँजी, ऋण तथा अनुदान/सहाय्य से संबंधित बजटीय जावक का विस्तृत ब्यौरा **चार्ट -1.4** में दर्शाये गये हैं:

चार्ट 1.4: अंशपूँजी, ऋण एवं अनुदान/सहाय्य से संबंधित बजटीय जावक

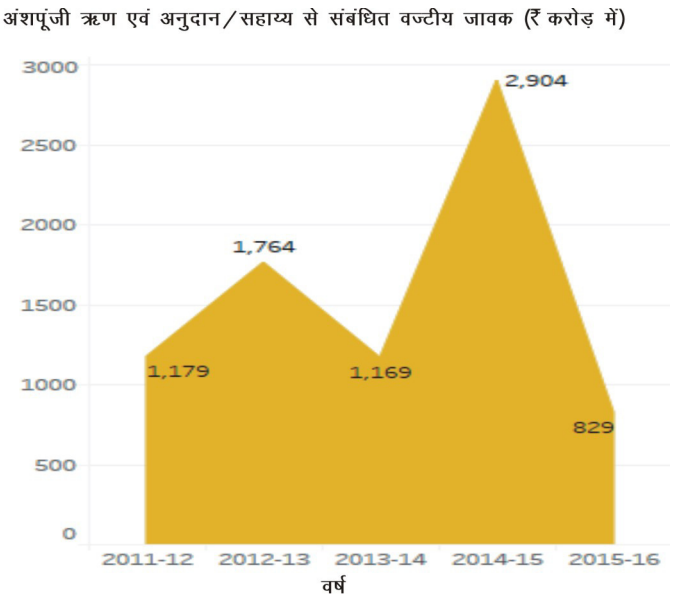

बजटीय जावक वर्ष 2014-15 में ₹ 2903.79 करोड़ से घटकर वर्ष 2015-16 में ₹ 829.00 करोड़ हो गया। इसका मुख्य कारण सरकार द्वारा झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 2106.63 करोड़ का अनुदान दिया जाना था जबकि वर्ष 2015-16 के दौरान कोई भी अनुदान सरकार द्वारा नहीं दिया गया।

[2] छह सा.क्षे.उ. (झालको, जीआरडीए, जेयूयूएनएल, जेयुएसएनएल, जेबीवीएनएल और जेटीडीसी) का कुल जावक।

वित्त लेखों से समायोजन

1.9 राज्य के सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के अनुसार बकाया अंशपूँजी एवं ऋण से संबंधित आँकड़े राज्य के वित्त लेखों में अंकित आँकड़ों से मिलने चाहिएँ। यदि आँकड़े नहीं मिलते हैं तो संबंधित सा.क्षे.उ. और वित्त विभाग द्वारा अंतर का समाधान करना चाहिए। इस संबंध में 31 मार्च 2016 तक की स्थिति **तालिका - 1.3** में दी गई है:

तालिका 1.3: वित्त लेखों और सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के अनुसार अंशपूँजी और ऋण

(₹ करोड़ में)

संबंधित बकाया	वित्त लेखों के अनुसार राशि	सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के अनुसार राशि	अंतर
अंशपूँजी	63.30	228.14	164.84
ऋण	6818.30	2133.29	4685.01

(स्रोत: वर्ष 2015-16 के राज्य वित्त लेखाओं और कंपनी द्वारा प्रदत्त सूचना से संकलित आँकड़े)

हमने अवलोकित किया कि सोलह[3] सा.क्षे.उ. के आँकड़ों में अंतर था और इन अंतरों का समाधान 2001-02 से लम्बित था। प्रधान महालेखाकार ने इस मामले को प्रधान सचिव, झारखण्ड सरकार और अपर मुख्य सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार तथा इन सा.क्षे.उ. के साथ जांच के उपरांत भिन्नताओं के समायोजन हेतु उठाया (अद्यतन दिसम्बर 2016 में) था लेकिन कोई सुधारात्मक कार्रवाई की शुरुआत नहीं की गई। सरकार और सा.क्षे.उ. को भिन्नताओं के समाधान के लिए समयबद्ध तरीके से ठोस कदम उठाने चाहिएँ।

लेखों के अंतिमीकरण में बकाया

1.10 प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए कंपनियों के वित्तीय विवरण को, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96(1) के प्रावधानों के अनुसार जिसे धारा 129(2) के साथ पढ़ा जाए, सितंबर माह के अंत तक अर्थात् संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के अंदर अंतिमीकृत किया जाना चाहिए। इसमें हुई विफलता, अधिनियम की धारा 99 के तहत दंडात्मक प्रावधानों को आकर्षित कर सकती है जिसके तहत कंपनी के हर अधिकारी जो चूक में शामिल थे उनपर एक लाख का जुर्माना और सतत चूक के मामले में प्रति दिन पांच हजार रुपया तक का जुर्माना हो सकता है।

30 सितम्बर 2016 को कार्यरत सा.क्षे.उ. के द्वारा किए गए लेखों के अंतिमीकरण की प्रगति का विवरण **नीचे तालिका-1.4** में दर्शाया गया है:

[3] जीआरडीए, जेबीवीएनएल, जिडको, जेएसएमएफडीसी, जेयुएसएनएल, जेएसबीसीएल, जेटीडीसी, झालको, जेयूयूएनएल, जेयूवीएनएल, जेएमएचआईडीपीसीएल, केईएल, जुडको, झारक्राफ्ट, जेएसएफएससीएल और टीवीएनएल।

तालिका 1.4: कार्यरत सा.क्षे.उ. के लेखों के अंतिमीकरण की स्थिति

क्र. सं.	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1.	कार्यरत सा.क्षे.उ. की संख्या	13	14	18	18	19
2.	वर्ष के दौरान अंतिमीकृत लेखों की संख्या	8	20	14	10	17
3.	बकाया लेखों की संख्या	52	45	45	57	66[4]
4.	बकाया लेखों वाले सा.क्षे.उ की संख्या	13	14	14	18	19
5.	बकाया लेखों की अवधि (संख्या वर्षों में)	1 to 16	1 to 13	1 to 9	1 to 9	1 to 10

(स्रोत: कंपनी द्वारा प्रदत्त सूचना से संकलित ऑकड़े)

यह अवलोकित किया जा सकता है कि पिछले वर्षों के दौरान 2011-12 में तेरह सा.क्षे.उ. के लिए बकाये लेखों की संख्या 52 थी जो बढ़कर 2015-16 में 19 सा.क्षे.उ. के लिए में 66 हो गयी थी। 30 सितंबर 2015 को बकाये 57 लेखों में से मात्र 17 लेखों को चालू वर्ष में अंतिमीकृत किया गया था। 19 सा.क्षे.उ. में से कोई भी सा.क्षे.उ. ने वर्ष 2015-16 के लेखे को अंतिमीकृत नहीं किया था और बकाया लेखों की अवधि एक से 10 वर्ष की थी।

प्रशासनिक विभागों पर इन इकाईयों का निरीक्षण करने का उत्तरदायित्व है तथा यह भी सुनिश्चित करना है कि ये सा.क्षे.उ. अपने लेखों का अंतिमीकरण एवं उनका अंगीकरण विहित अवधि के अंदर करें। 2011-12 से 2015-16 के दौरान संबंधित प्रशासनिक विभागों को नियमित सूचना दी गयी थी। इसके अतिरिक्त, प्रधान महालेखाकार द्वारा मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार एवं प्रधान सचिव, वित्त विभाग को बकाया लेखें को पूर्ण करने हेतु अवगत (सितम्बर 2016) कराया गया था। यद्यपि कोई सुधार नहीं देखा गया।

1.11 राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान 19 सा.क्षे.उ. में ₹ 3779.85 करोड़ **(**अंशपूँजी: ₹ 33.69 करोड़**,** ऋण: ₹ 1526.31 करोड़**,** अनुदान: ₹ 2219.85 करोड़**)** का निवेश किया जिनके लेखें अंतिमीकृत नहीं किये गये हैं, जैसा **परिशिष्ठ-1.1** में वर्णित हैं। लेखों के अंतिमीकरण और उनकी अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि किए गए निवेश और व्यय का लेखांकन उचित तरीके से किया गया था एवं जिस उद्देश्य हेतु निवेश किया गया था उस उद्देश्य की प्राप्ति हुई थी। इस प्रकार, इन सा.क्षे.उ. में सरकार का निवेश विधायिका के नियंत्रण से बाहर रहा।

लेखों के अंतिमीकरण न करने का प्रभाव

1.12 जैसा कि ऊपर इंगित किया गया है (कंडिका 1.10 से 1.11), लेखों के अंतिमीकरण में विलम्ब से प्रसांगिक प्रावधानों के उल्लंघन के अलावा लोकनिधि की

[4] ऊर्जा कम्पनियों यथा जेयुवीएनएल, जेयुयुएनएल, जेयुएसएनएल और जेबीवीएनएल जो 16 सितंबर 2013 को निगमित हुए और जेएमएचआईडीपीसीएल जो 24 मई 2013 को निगमित हुए के बकाया लेखें (2013-14) सहित।

धोखाधड़ी का पता न लगने एवं बर्बादी के जोखिम की सम्भावना हो सकती है। उपरोक्त लंबित लेखों की दशा के आलोक में वर्ष 2015-16 में राज्य की जीडीपी में सा.क्षे.उ. का वास्तविक योगदान का आकलन नहीं किया जा सकता था तथा यह राज्य की विधायिका को भी प्रतिवेदित नहीं किया गया था।

अत: यह अनुशंसा की जाती है कि:

- सरकार को बकाया के निराकरण की देख-रेख हेतु एक प्रकोष्ठ का गठन और प्रत्येक कंपनी के लिए लक्ष्यों का निर्धारण करना चाहिए जिसकी निगरानी उस प्रकोष्ठ द्वारा किया जाए।

- जहाँ कर्मचारी अप्रर्याप्त हैं या जिनमें विशेषज्ञता का अभाव है वहाँ सरकार को लेखे तैयार करने के कार्य के लिए बाह्य स्रोत पर विचार करना चाहिए।

अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार सा.क्षे.उ. के निष्पादन

1.13 सा.क्षे.उ. की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम का विस्तृत विवरण **परिशिष्ठ-1.2** में वर्णित है। सा.क्षे.उ. के आवर्त का राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात राज्य की अर्थव्यस्था में सा.क्षे.उ. की सक्रियता को दर्शाता है। वर्ष 2015-16 में समाप्त पाँच वर्षों की अवधि में सा.क्षे.उ. का आवर्त और राज्य के जीएसडीपी का विस्तृत विवरण नीचे **तालिका-1.5** में दिये गये हैं।

तालिका 1.5: सा.क्षे.उ का आवर्त और राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
आवर्त[5]	2139.72	2563.86	3065.85	3205.87	1865.69
राज्य का सकल राज्य घरेलु उत्पाद[6]	150918	174724	188567	217107	241955
राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद से आवर्त का प्रतिशत	1.42	1.47	1.63	1.48	0.77

(स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट और कंपनी द्वारा प्रदत्त सूचना से संकलित ऑकड़े)

राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद से सा.क्षे.उ. के आवर्त का प्रतिशत वर्ष 2014-15 में 1.48 से घटकर वर्ष 2015-16 में 0.77 हो गया। वर्ष 2015-16 के ₹ 1865.69 करोड़ के आवर्त में राज्यों के पांच सा.क्षे.उ (केईएल, जेयुवीएनएल, जेयुयुएनएल, जेएसएफसीएससीएल और जेएमएचआईडीपीसीएल) द्वारा अपने पहले लेखों को अंतिमीकृत नहीं करने के कारण उनके आवर्त को शामिल नहीं किया गया है।

1.14 30 सितम्बर 2016 को अंतिमीकृत लेखों के अनुसार वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान राज्य के सा.क्षे.उ. द्वारा वहन की गई कुल हानि[7] **चार्ट -1.5** में दर्शायी गई है।

---

[5] 30 सितंबर 2016 को अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार आवर्त।

[6] जीएसडीपी के आँकड़े जून 2016 के वर्तमान मूल्यों पर लिए गए।

[7] 30 सितंबर 2016 को अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार आवर्त।

चार्ट 1.5: राज्य सा.क्षे.उ. के हानि

वर्ष के दौरान कार्यकारी सा.क्षे.उ. द्वारा वहन की गई कुल हानि (₹ करोड़ में)

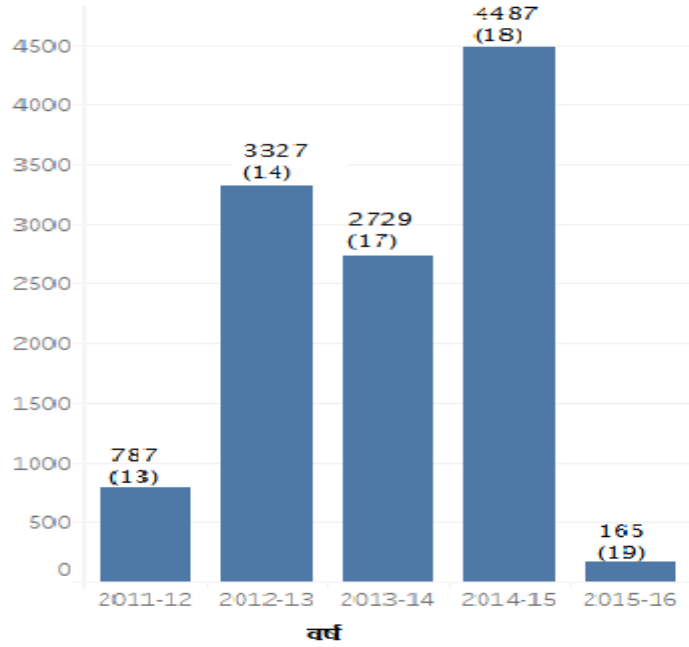

(कोष्टक के आँकडे संबंधित वर्षों में कार्यरत सा.क्षे.उ. की संख्या दर्शाते हैं)

ऊपर के चार्ट में दर्शाया गया है कि कार्यकारी सा.क्षे.उ. द्वारा वर्ष 2011-12 में ₹ 786.68 करोड़ की हानि वहन की गयी जो वर्ष 2015-16 में घटकर ₹ 164.92 करोड़ रह गई। हानियों के घट्ने का मुख्य कारण यह था कि झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड जिसका वर्ष 2013-14 में विघटन हुआ, की हानियों को कुल हानियों की गणना में नहीं दर्शाया गया है।

अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार, 19 सा.क्षे.उ. में से छः सा.क्षे.उ. ने ₹ 37.69 करोड़ का लाभ और आठ सा.क्षे.उ. ने ₹ 202.61 करोड़ की हानि वहन की। शेष पांच सा.क्षे.उ.[8] ने अपना पहला लेखा भी अंतिमीकृत नहीं किए। लाभ के मुख्य योगदानकर्ताओं में झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम (₹ 13.09 करोड़**),** झारखण्ड राज्य वन विकास निगम (₹ 10.43 करोड़), झारखण्ड पुलिस आवासीय निगम लिमिटेड (₹ 5.95 करोड़**)** और ग्रेटर राँची विकास एजेंसी (₹ 4.33 करोड़**)** थे। तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (₹ 110.22 करोड़) एवं झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (₹70.98 करोड़) द्वारा भारी हानि वहन की गई।

[8] केईएल, जेयूवीएनएल, जेयूयूएनएल, जेएसएफसीएससीएल और जेएमएचआईडीपीसीएल।

1.15 सा.क्षे.उ. से संबंधित कुछ अन्य मुख्य मापदण्ड **तालिका-1.6** में दिये गये हैं।

तालिका 1.6: राज्य के सा.क्षे.उ के मुख्य मापदण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
नियोजित पूँजी पर प्रत्याय (प्रतिशत)	-	-	-	-	-
ऋण	6022.30	6435.29	6540.97	7736.75	2508.21
आवर्त	2139.72	2563.86	3065.85	3205.87	1865.69
ऋण/आवर्त अनुपात	2.81:1	2.51:1	2.13:1	2.41:1	1.51:1
ब्याज भुगतान	477.72	600.02	875.62	812.61	921.10
संचित हानि	(-) 6385.11	(-) 9437.93	(-) 12298.80	(-) 16755.73	(-)1221.64

(स्रोत: कंपनी द्वारा प्रदत्त सूचना से संकलित ऑकड़े)

2011-12 से 2015-16 के दौरान सा.क्षे.उ. द्वारा हानि वहन करने के कारण नियोजित पूँजी पर कोई प्रत्याय नहीं था। इसके अलावा, ऋण 2011-12 में ₹ 6022.30 करोड़ से घटकर 2015-16 में ₹ 2508.21 करोड़ हो गया। संचित हानि 2011-12 में ₹ 6385.11 करोड़ से घटकर 2015-16 में ₹ 1221.64 करोड़ हो गयी। हानियों के घट्ने का मुख्य कारण झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड, जिसका वर्ष 2013-14 में विघटन हुआ, की हानियों को कुल हानियों की गणना में नहीं दर्शाया जाना था।

1.16 राज्य सरकार ने अपने द्वारा दी गयी प्रदत्त अंशपूँजी पर न्यूनतम प्रत्याय देने के लिए कोई लाभांश नीति नहीं बनायी थी। उनके अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार, छः सा.क्षे.उ. ने ₹ 37.69 करोड़ का समग्र लाभ अर्जित किया लेकिन कोई सा.क्षे.उ. ने लाभांश घोषित नहीं किया।

लेखों पर टिप्पणियाँ

1.17 01 अक्टूबर 2015 से 30 सितंबर 2016 के दौरान नौ सरकारी कंपनियों ने अपने तेरह लेखापरीक्षित लेखे प्रधान महालेखाकार को प्रेषित किये। इनमें से आठ कंपनियों के ग्यारह लेखों को पूरक लेखापरीक्षा हेतु चयन किया गया। सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और सीएजी की पूरक लेखापरीक्षा, यह दर्शाती है कि लेखों के रख-रखाव की गुणवत्ता में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। सीएजी की टिप्पणियों के कुल मौद्रिक मूल्य के विस्तृत विवरण **तालिका-1.7** में दिए गए हैं।

तालिका 1.7: कार्यरत कंपनियों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों के प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2013-14		2014-15		2015-16	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ मे वृद्धि	-	-	-	-	2	0.94
2.	लाभ में कमी	3	0.63	3	6.65	7	9.46
3.	हानि में वृद्धि	2	33.72	1	2.10	7	14.68
4.	हानि में कमी	1	1.49	7	267.99	5	452.46
5.	महत्वपूर्ण तथ्यों का अप्रकटीकरण	-	-	5	-	9	-

(स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा अभिकलित ऑकड़े)

वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों ने चार लेखों पर दोष-रहित प्रमाण पत्र एवं नौ लेखों पर दोषयुक्त प्रमाण पत्र दिये। सरकारी कंपनी द्वारा लेखा मानकों का अनुपालन खराब था क्योंकि वर्ष के दौरान नौ खातों में इकतीस उदाहरण थे जहां लेखा मानकों का अनुपालन नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया

निष्पादन लेखापरीक्षाएँ एवं कंडिकाएँ

1.18 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन हेतु एक निष्पादन लेखापरीक्षा यथा तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड के कार्यकलाप संबंधी एक लेखापरीक्षा यथा उच्च विभव सेवा उपभोक्ताओं के संबंध में विपत्रीकरण और राजस्व संग्रह और छः लेखापरीक्षा कंडिकाएँ संबंधित तीन विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को छः सप्ताह के अंदर उत्तर उपलब्ध कराने के आग्रह के साथ जारी किये गये थे। यद्यपि, राज्य सरकार से एक निष्पादन लेखापरीक्षा एवं सात लेखापरीक्षा कंडिकाओं के उत्तर अप्राप्त थे (नवम्बर 2016)।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन

उत्तर अप्राप्त

1.19 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन लेखापरीक्षा जाँच की प्रक्रिया की चरम स्थिति को प्रदर्शित करता है। अतः यह जरूरी है कि वे अधिशासी से उचित एवं समय पर प्रतिक्रिया प्राप्त करें। वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा सभी प्रशासनिक विभागों को भारत के सीएजी के प्रतिवेदनों में शामिल कंडिकाओं/समीक्षाओं के उत्तर/ व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ इसके निर्धारित फोर्मेट में विधायिका में प्रस्तुति के तीन माह के अंदर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम समिति (कोपू) के प्रश्नावली का इंतज़ार किए बगैर प्रस्तुत करने का निर्देश निर्गत (नवम्बर 2015) किया गया। 30 सितम्बर 2016 तक अप्राप्त उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति **तालिका - 1.8** में दर्शायी गई है।

तालिका 1.8: 30 सितम्बर 2016 को अप्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का वर्ष (वाणिज्यिक /सा.क्षे.उ)	राज्य विधायिका मे लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कुल निष्पादन लेखापरीक्षाएँ (पीए) एवं कंडिकाएँ		कुल पीए/कंडिकाएँ ज़िनपर व्याख्यात्मक टिप्पिणयाँ प्राप्त नहीं हुई	
		पीए	कंडिकाएँ	पीए	कंडिकाएँ
2005-06	04.04.2007	1	3	-	1
2006-07	26.03.2008	1	6	1	5
2007-08	10.07.2009*	1	8	1	7
2008-09	13.08.2010	1	4	1	4
2009-10	29.08.2011	1	6	1	6
2010-11	06.09.2012	1	3	-	1
2011-12	27.07.2013	1	5	1	4
2012-13	05.03.2014	1	5	-	5
2013-14	26.03.2015	1	6	-	4
2014-15	15.03.2016	2	5	1	1
कुल		11	51	6	38

(स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा अभिकलित ऑकड़े) * संसद मे उपस्थापित

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि 62 कंडिकाएँ/निष्पादन लेखापरीक्षाएँ, जिनपर टिप्पणियाँ की गई थीं, में से सात विभागों से संबंधित 44 कंडिकाओं/निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ अप्राप्त (सितम्बर 2016) थीं।

कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा

1.20 30 सितम्बर 2016 को निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं कंडिकाओं की स्थिति, जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सा.क्षे.उ.) में शामिल थे और जिसका सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम समिति (कोपू) द्वारा चर्चा की गई, **तालिका-1.9** में दी गई है।

तालिका 1.9 : 30 सितम्बर 2016 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन मे शामिल की गयी निष्पादन लेखापरीक्षाओं/कंडिकाओं पर की गयी चर्चा का विवरण

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	निष्पादन लेखापरीक्षाओं(पीए)/कंडिकाओं की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल		कंडिकाएँ जिस पर चर्चा हुई	
	पीए	कंडिकाएँ	पीए	कंडिकाएँ
2004-05	2	1	2	1
2005-06	1	3	1	2
2006-07	1	6	-	1
2007-08	1	8	-	1
2008-09	1	4	-	-
2009-10	1	6	-	-
2010-11	1	3	1	2
2011-12	1	5	-	1
2012-13	1	5	1	-
2013-14	1	6	1	2
2014-15	2	5	1	4
कुल	13	52	7	14

(स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा अभिकलित ऑकड़े)

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम समिति (कोपू) के प्रतिवेदनों का अनुपालन

1.21 अगस्त 2006 से अगस्त 2014 के दौरान राज्य विधायिका के समक्ष उपस्थापित नौ कोपू प्रतिवेदनों से संबंधित 17 कंडिकाओं/उप-कंडिकाओं पर कार्रवाई टिप्पणियाँ (एटीएन) प्राप्त नहीं हुई थीं (नवम्बर 2016) जैसा कि **तालिका-1.10** में वर्णित है।

तालिका 1.10: कोपू के प्रतिवेदनों का अनुपालन

कोपू के प्रतिवेदन का वर्ष	कोपू के प्रतिवेदनों की संख्या	कोपू के प्रतिवेदनों में अनुशंसाओं की कुल संख्या	अनुशंसाओं की कुल संख्या जिनके लिये कार्रवाई टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुए
2007-08	2	2	2
2008-09	1	1	1
2012-13	3	7	7
2013-14	3	7	7
कुल	**9**	**17**	**17**

(स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा अभिकलित ऑकड़े)

कोपू के इन प्रतिवेदनों में एक विभाग से संबंधित कंडिकाओं के बारे में अनुशंसायें थीं, जो 2002-03 से 2005-06 के वर्षों में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में शामिल थीं।

यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि: (अ) निरीक्षण प्रतिवेदनों/व्याख्यात्मक टिप्पणियों/प्रारूप कंडिकाओं/निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं कोपू की अनुशंसाओं पर कार्रवाई टिप्पणियों के उत्तर निर्धारित समय-सीमा में भेजे जायें;

(ब) हानि/लंबित अग्रिमों/अधिक भुगतान की वसूली निर्धारित समय-सीमा में की जाये; एवं

(स) लेखापरीक्षा आपत्तियों का उत्तर देने से संबंधित प्रणाली का सुधार किया जाये।